

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू कैम्प कोट खावदा

क्रमांक: राजस्व/23/6175

दिनांक : 21/7/2023

मि० नं० 125/2023

आदेश

आवेदक श्री गुल्लीराम पुत्र मारीलाल मीना ने
तहसील कोटखावदा में ग्राम दीरापुरा स्थित आराजी
खाता सं० 11, 12, 84 रकबा के संबंध में जमाबन्दी
संवत् 2076-2079 के खाता संख्या 11, 12, 84 पर अंकित प्रविष्टि
दुरुस्त कराने हेतु आवेदन पेश किया। पटवारी हल्का द्वारा जाँच की जाकर ग्राम
दीरापुरा की जमाबन्दी के खाता संख्या 11, 12, 84 की प्रविष्टि के
स्थान पर गुल्लीराम पुत्र मारीलाल मीना
किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार कोटखावदा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के
अनुसार जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि दुरुस्त करने की अभिशंषा की है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत
पटवारी हल्का दीरापुरा की रिपोर्ट व तहसीलदार कोटखावदा/
गिरदावर की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी श्री गुल्लीराम
श्री वरिया जाति मीना निवासी दीरापुरा
तहसील कोटखावदा के आवेदन पर जमाबन्दी संवत् 2076-2079
के खाता संख्या 11, 12, 84 में अंकित प्रविष्टि गुल्या पुत्र मारीया
मीना के स्थान पर गुल्लीराम पुत्र मारीलाल
मीना किए जाने की
स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

.....
उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)

दिनांक : 21/7/2023

क्रमांक: राजस्व/23/6176

प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित है-

1. तहसीलदार
2. पटवारी हल्का

.....
उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)